न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 39/2012

1 मन्ना पुत्र खेता जाति बलाई निवासी किकरालिया तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 रिछपाल पुत्र मन्ना।
2 गोपी पुत्र खेता।
3 सुरजा पुत्र गुलला।
4 मुकेश पुत्र पुर्णमल।
5 ओमप्रकाश पुत्र मन्ना समस्त जाति बलाई निवासीगण किकरालिया तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
6 पंजाब नैशनल बैंक पिपराली

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर मुकदमा नम्बर 132/2011 प्रकरण उनवानी रिछपाल बनाम मन्ना आदि आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम निर्णय दिनांक 18.04.2012

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री बजरंग सिंह राजपुत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रामस्वरूप तीरदिया, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 27.8.21

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टरा प्रथम सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 132/2011 में पारित निर्णय दिनांक 18.04.2012 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम किकरालिया तहसील दांतारामगढ़ में भूमि खसरा नम्बर 418,419 कुल किता 2 रकबा 2.35 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 628,655 कुल किता 2 रकबा 2.50 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 596,597,598,599,600,601,602,604,605,606,607,608,609,610,595 कुल किता 15 कुल रकबा 4.05 हैक्टेयर स्थित है जिसके सम्बन्ध में रेस्पो./अप्रार्थी संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद बाबत बंटवारा स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर उसके साथ आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की वादास्पद भूमियां रेस्पो. /अप्रार्थी संख्या 1,5,6 व अपीलांट की पैतृक खेताराम की भूमियां है, जिसमें रेस्पों/अप्रार्थी संख्या 1 व अपीलांट तथा उसके पिता एवं भाईयों को 1/2 हिस्सा है जिसमें सभी का 1/4,1/4 समान हिस्सा है, वंशावली में भी मन्ना से तीन पुत्र क्रमशः रेस्पो. संख्या 1 व 5 के पिता पूर्णमल व 6 अंकित करके सबके नाम समान हिस्सा मुताबिक बंटवारा में भूमि दी जाकर अपीलांट को वादास्पद बैंक से ऋण नहीं लेने व बेचान करने से पाबंद वाद के निर्णय तक कराने की सहायता चाही है। वाद एवं आवेदन पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात् अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 1 से जवाब प्रस्तुत करके प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

आवेदन में दर्ज तथ्यों को अस्वीकार कर निवेदन किया है कि भूमि खसरा नम्बर 418,419,628,655 अपीलांट की पैतृक भूमियां है। खसरा नम्बर 596 लगायत 602 व 604 लगायत 610 व 595 में हिस्सा 1/8 अपीलांट का पैतृक है। शेष भूमि में 1/4 हिस्सा स्वर्जित है। जिससे इन भूमियों में 3/8 हिस्सा का अपीलांट खातेदार काश्तकार है। सभी भूमियां पैतृक नहीं है। ना ही रेस्पो/अप्रार्थी संख्या 1 ने अपीलांट मन्ना के सभी वारिसाना को पक्षकार बनाया है। मन्ना के चार पुत्रियाां क्रमशः भागोती, बिड़दी, इन्द्र व शारदा है, जो आवश्यक पक्षकार है। बिना इनके पक्षकार के आवेदन चलने योग्य नहीं है। अपीलांट वादास्पद भूमियों का खोतदार काश्तकार है, जिसको भूमियों की काश्त हेतु समय–समय पर आवश्यकता पड़ने पर बैंक से ऋण लिया व ऋण चुकाया भी है। भूमियों को अपीलांट द्वारा बेचान की मंशा नहीं रखता है। अप्रार्थी/रेस्पों. संख्या 1 का बड़ लड़का जो मुम्बई में बिल्डिंग कन्सट्रक्शन का धंधा कर अच्छे रूपये कमाता है परन्तु अपने माता–पिता को कुछ भी नहीं देता है ना ही बहीनों को मानता है ना ही विवाह, शादियो, भात व छुछक आदि हाथ बंटाता है। भूमियों में हिस्सा लेकर भूमियों को बेचान करके मुम्बई में बसने का इरादा रखता है। ऐसी स्थिति में वृद्ध माता–पिता की सेवा किये बगैर वरिष्ठ नागरीक अधिनियम के तहत रेस्पो. अप्रार्थी संख्या 1 वादास्पद भूमियों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। आवेदन पत्र खारिज किये जाने योग्य है अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र एवं रिकार्ड का बाद अवलोकन कर अंतिम बहस सुनी जाकर दिनांक 18.04.2012 को प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया । इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया किभूमि खसरा नम्बर 418,419,628,655 अपीलांट की पैतृक भूमियां है। खसरा नम्बर 596 लगायत 602 व 604 लगायत 610 व 595 में हिस्सा 1/8 अपीलांट का पैतृक है। शेष भूमि में 1/4 हिस्सा स्वर्जित है। जिससे इन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भूमियों में 3/8 हिस्सा का अपीलांट खातेदार काश्तकार है। सभी भूमियां पैतृक नहीं है। ना ही रेस्पो/अप्रार्थी संख्या 1 ने अपीलांट मन्ना के सभी वारिसाना को पक्षकार बनाया है। मन्ना के चार पुत्रियाां क्रमशः भागोती, बिड़दी, इन्द्र व शारदा है, जो आवश्यक पक्षकार है। बिना इनके पक्षकार के आवेदन चलने योग्य नहीं है। अपीलांट वादास्पद भूमियों का खोतदार काश्तकार है, जिसको भूमियों की काश्त हेतु समय–समय पर आवश्यकता पड़ने पर बैंक से ऋण लिया व ऋण चुकाया भी है। भूमियों को अपीलांट द्वारा बेचान की मंशा नहीं रखता है। अप्रार्थी/रेस्पों. संख्या 1 का बड़ लड़का जो मुम्बई में बिल्डिंग कन्सट्रक्शन का धंधा कर अच्छे रूपये कमाता है परन्तु अपने माता–पिता को कुछ भी नहीं देता है ना ही बहीनों को मानता है ना ही विवाह, शादियो, भात व छुछक आदि हाथ बंटाता है। भूमियों में हिस्सा लेकर भूमियों को बेचान करके मुम्बई में बसने का इरादा रखता है। ऐसी स्थिति में वृद्ध माता–पिता की सेवा किये बगैर वरिष्ठ नागरीक अधिनियम के तहत रेस्पो. अप्रार्थी संख्या 1 वादास्पद भूमियों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय ने निर्णय से पूर्व पत्रावली का अवलोकन नहीं किया पत्रावली पर विक्रय पत्रों की प्रतियां उपलब्ध है जिनसे विवादित भूमि अपीलांट की स्वअर्जित होना प्रमाणित है। विचारण न्यायालय में प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दूवार विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने पक्षकारों के मध्य उद्घोषणा एवं बंटवारें का वाद लंबित है। इसके निर्णय से पूर्व विवादित भूमियां खुर्दबुर्द नहीं हो इसे दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। अतः अपील खारीज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

है कि भूमि खसरा नम्बर 418,419,655,628 वाके ग्राम किकरालिया पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड एवं अपीलांट के जवाब की स्वीकारोक्ति से पैतृक होना प्रकट होता है। शेष खसरा नम्बर 596,597,598,599,600,601,602 ,604,605,606,607,608,609,610,595 अप्रार्थी अपीलांट द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय की गई है। विक्रय पत्र की छाया प्रति विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। विचारण न्यायालय ने इनका अवलोकन एवं विवेचन किये बिना ही, प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दूवार विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय में ग्राम किकरालिया की भूमि खसरा 596,597,598,599,600,601,602,604,605,606,607 ,608,609,610,595 के संदर्भ में पारित निर्णय अपास्त किया जाता है, शेष भूमियों के संदर्भ में निर्णय यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.8.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर